न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 10/2017 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– 1. सुदेश पुत्री श्री लल्लू सिंह जाति राजपूत

2. विदेश पुत्री श्री लल्लू सिंह जाति राजपूत, निवासीयान ग्राम कल्याणपुरा कलॉ तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राज0 जरिये मुखत्यार आम उदयसिंह पुत्र श्री चिरंजीलाल निवासी शाहजहॉपुर तहसील नीमराणा जिला अलवर

––– अपीलांट वादी

बनाम्

1. अमरपाल सिंह पुत्र स्व0 लल्लूसिंह, जाति राजपूत, गूंगा बहरा, जरिये सरपरस्ती पत्नि श्रीमती सदा कॅवर पत्नि श्री अमरपाल सिंह, जाति राजपूत
2. प्रताप सिंह पुत्र श्री अमरपाल सिंह, जाति राजपूत
3. पृथ्वी सिंह पुत्र श्री अमरपाल सिंह, जाति राजपूत
4. सदा कॅवर पत्नि श्री अमरपाल सिंह, जाति राजपूत निवासीयान ग्राम शाहजहॉपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज0
5. तहसीलदार साहब नीमराना जिला अलवर, बहैसियत भू–अभिलेख अधिकारी, नीमराना जिला अलवर राज0

–––रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड़ अधिकारी नीमराना जिला अलवर दिनांक 02–01–2017

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वरदयाल

2. वकील रेस्पो0 :– श्री नवनीत कुमार तिवाडी

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय

दिनांक– 09.07.2021

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, नीमराना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा तहसीलदार, नीमराना को यह अहकाम जारी किया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णयनुसार आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण सं0 880 दिनांक 15.08.2001 वाके ग्राम शाहजहांपुर निम्न प्रकार इजराय से सरोज देवी पत्नि लल्लू सिंह, अमरपाल सिंह पुत्र लल्लू सिंह, प्रतापसिंह पुत्र अमरपाल, पृथ्वीसिंह पुत्र अमरपाल होने से सरोज देवी का हिस्सा 1/4 में 1/2, सदाकंवर पत्नि अमरपाल एवं प्रतापसिंह 1/4, पृथ्वीसिंह 1/4 हिस्सा दर्ज कर स्वीकार किया जावे एंव हाल राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार प्रविष्टि की जावे तथा पूर्व में विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज इन्तकाल संख्या 880 दिनांक 27.10.2015 एंव उसके बाद प्रविष्ट इंतकाल सं0 3486 एवं 3502, 3503 वाके ग्राम शाहजहांपुर तह0 नीमराना की तमाम प्रविष्टयों को कलमजन किया जावे। उपखण्ड़ अधिकारी नीमराना के उक्त अहकाम से व्यथित होकर सुदेश वगैरा ने यह अपील पेश की है।

2. बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना नहीं गया। तहत अदालत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि इन्तकाल सं0 880 दिनांक 15.08.2001 का अमल पूर्व में ही हो चुका था तथा इसके बाद इन्तकाल सं0 3486 सरोज के वारिसान के नाम दर्ज हुआ। इसके बाद अपीलांटस ने विवादित भूमि का बेचान श्रवण कुमार पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 1/8 तथा ममता पत्नि राजसिंह अहीर 1/9 को कर दिया, जिनके इन्तकाल संख्या 3502 एवं 3503 मंजूर हो गये। जबकि इजराय केवल इंतकाल सं0 880 के बाद ही पेश की गई थी। ऐसी स्थिति में तहत अदालत को इंतकाल सं0 880 के साथ अन्य इन्तकाल सं0 3486 एवं 3502 व 3503 की प्रविष्टियों को कलमजन करने का अधिकार नहीं था। वास्तविक तथ्य यह है कि इन्तकाल सं0 880 को दिनांक 15.08.2001 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया था। इसकी अपील विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रही और अन्त में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से खारिज हुई। माननीय राजस्व मण्डल से अपील खारिज होने पर इन्तकाल नं0 880 बहाल हो गया। जिसका अमल भी जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में हो गया। इन्तकाल सं0 880 स्वीकार होने के बाद सरोज देवी के वारिसों अमरपाल, सुदेश व विदेश के नाम इन्तकाल नं0 3486 स्वीकार हो गया। इसके बाद अपीलांटस ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया, जिनके इन्तकाल सं0 3502 एवं 3503 स्वीकार हुए। ऐसी स्थिति में जब इंतकाल नं0 880 पूर्व में ही स्वीकार हो चुका था तो अपीलाधीन आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। इन्तकाल नं0 3486 तथा 3502 व 3503 को आज तक किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत को आलोच्य अहकाम पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः अपील स्वीकार की जावे।

3. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आलोच्य आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में पारित किया गया है। अपील में बताये गये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

इन्तकाल फर्जी तरीके से मंजूर किये गये थे। जब इजराय की कार्यवाही, लम्बित थी तो इन्तकाल की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये थी। इन्तकाल की कार्यवाही फर्जी तरीके से कराने पर इसके खिलाफ थाना शाहजहांपुर में फर्जीकारी का प्रकरण दर्ज कराया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय हो जाने के बाद अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। इसलिये मौजूदा अपील पोषणीय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अपीलांटस के खिलाफ हो गया है। इसलिये इन्तकाल नम्बर 3486, 3502 एवं 3503 एवं इनसे संबंधित दस्तावेजात बयनामे आदि प्रभाव शून्य हो चुके है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत ने आलोच्य अहकाम विधिसम्मत पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। प्रकरण का सूक्ष्म रूप से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सरोज देवी की विरासत का इन्तकाल नम्बर 880 उसके वारिसान के हक में ग्राम पंचायत शाहजहांपुर द्वारा मन्जूर किया गया था। इसकी अपील उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ ने अपने निर्णय दिनांक 02.04.2004 द्वारा खारिज की। उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ के उक्त निर्णय दिनांक 02.04.2004 के खिलाफ अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील संख्या 32/2004 पेश हुई, जो निर्णय दिनांक 23.09.2009 द्वारा परीक्षण न्यायालय को रिमांड हुआ । अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के उक्त निर्णय दिनांक 23.09.2009 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी सं0 762/2016 पेश हुई, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 23.10.2015 द्वारा निगरानी स्वीकार कर वसीयत के आधार पर खोले गये इन्तकाल सं0 880 को यथावत रखा। माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 23.10.2015 की आगे कोई अपील/निगरानी पेश किया जाना नहीं पाया जाता है। इसलिये इन्तकाल नं0 880 के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2015 अन्तिम हो गया। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 23.10.2015 की पालना कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी के यहां इजराय प्रा0 पत्र सं0 54/2016 पेश हुआ। उपखण्ड अधिकारी, नीमराना ने इजराय प्रा0 पत्र सं0 54/2016 में दिनांक 07.10.2016 को आदेश दिया कि उपखण्ड अधिकारी, बहरोड से मूल अपील पत्रावली सं0 33/2001 निर्णय दिनांक 02.04.2004 तलब की जावे। उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 07.10.2016 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश हुई। जो निर्णय दिनांक 22.11.2016 द्वारा खारिज की गई थी तथा उपखण्ड अधिकारी को आदेश किये गये कि इजराय प्रा0 पत्र 54/2016 में प्रार्थी को सुनकर निर्णय दिनांक 02.04.2004 की पालना 2 माह के अन्दर करें।

5. अदालत हाजा की पत्रावली में अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), बहरोड द्वारा दीवानी वाद संख्या 103/2004 (17/2002) बाबत घोषणात्मक व निरस्त किये जाने वसीयतनामा में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2005 की फोटो प्रति पेश की गई है। उक्त निर्णय के द्वारा वादीगण सुदेश वगैरा का उक्त दीवानी (बाबत निरस्त कराये जाने वसीयतनामा दिनांक 12.06.2001) खारिज किया गया था। ए0डी0जे0, बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 15.04.2005 के खिलाफ सुदेश वगैरा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में एस0 बी0 सिविल प्रथम अपील सं0 357/2005 प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 08.01.2015 द्वारा खारिज की गई थी। माननीय उच्च

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 08.01.2015 की फोटो प्रति तहत पत्रावली में संलग्न है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल अपील संख्या 13056/2015 प्रस्तुत की गई थी, जो निर्णय दिनांक 28.08.2015 द्वारा खारिज की गई थी। इस निर्णय की भी फोटो प्रति तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न है।

6. उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट है कि इन्तकाल संख्या 880 की विभिन्न न्यायालयों में अपीलें प्रस्तुत हुई और अन्त में माननीय राजस्व मण्डल ने निगरानी सं0 762/2016 में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2015 द्वारा निगरानी खारिज की और इन्तकाल नम्बर 880 को यथावत रखा। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 23.10.2015 के खिलाफ आगे कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता है। इसके पश्चात माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 23.10.2015 की पालना हेतु उपखण्ड अधिकारी के यहां इजराय प्रा0 पत्र 54/2016 पेश किया गया, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, नीमराना द्वारा दिनांक 07.10.2016 को उपखण्ड अधिकारी, बहरोड से मूल अपील पत्रावली तलब करने के आदेश दिये। उपखण्ड अधिकारी, नीमराना के उक्त आदेश दिनांक 07.10.2016 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी हुई, जो निर्णय दिनांक 22.11.2016 को खारिज हुई तथा उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दिये कि प्रार्थी को इजराय प्रा0 पत्र सं0 54/2016 में सुनकर निर्णय दिनांक 02.04.2004 की पालना 2 माह में करें। इस प्रकार स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल ने इन्तकाल नम्बर 880 को बहाल रखा और इसकी पालना करने के निर्देश दिये थे। ऐसी स्थिति में जब माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इन्तकाल नम्बर 880 वहाल रख दिया गया था तो फिर आलोच्य अहकाम (अपीलाधीन आदेश) दिनांक 02.01.2017 द्वारा इन्तकाल नम्बर 880 एवं इसके बाद स्वीकार इन्तकाल नम्बर 3486 तथा 3502 एवं 3503 को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। जहां तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है तो इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त प्रकरण वसीयत को निरस्त कराने का था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था।

7. उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपीलाधीन आदेश (अहकाम) विधिसम्मत नहीं है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन अहकाम दिनांक 02.01.2017 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)
भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर